

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (केरल क्षेत्र)

सारांशक

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 संविधि के अंतर्गत 1952 में स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत में सब से बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की व्यवस्था कर रहा है।

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना
- कर्मचारी पेंशन योजना
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

इन तीनों योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा सेवा के दौरान श्रमिकों में बचत की भावना जागृत करना है, तथा सेवानिवृत्त होने के बाद उनके हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करना और यदि काम के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के सदस्यों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करना है। ये योजनाएँ अब कार्यक्षेत्राधीन लाए गए उद्योगों तथा अन्य स्थापनाओं के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य लाभ प्रदान करती हैं।

योजनाएँ 180 वर्ग के उद्योगों, जो अधिनियम की धारा 1 की जरूरतों को पूरा करते हों अर्थात् जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी हो तथा स्वेच्छा से अधिनियम के अधीन आने का विकल्प देने वाले उद्योगों पर लागू होती है।

संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन बनाया गया केंद्रीय न्यासी बोर्ड का समस्त पर्यवेक्षण तथा उसके द्वारा रचित नीतियों के अंतर्गत कार्य करता है जो एक त्रिपक्षीय निकाय है तथा जिस में केंद्रीय एवं राज्य सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा जिसकी अध्यक्षता केंद्र श्रम मंत्री करते हैं। संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त है जो बोर्ड का पदेन सदस्य एवं सचिव भी हैं।

क्षेत्रीय समिति

केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अतिरिक्त क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया है जो क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। क्षेत्रीय समिति भी एक त्रिपक्षीय समिति है जो निम्न विषयों पर परामर्श देती हैं।

- (i) उन मामलों पर जिन्हें केंद्रीय बोर्ड समय-समय पर समिति को अपनी राय के लिए भेजे।
- (ii) सामान्यतः उन सभी मामलों पर जो कि राज्य में स्कीम के प्रशासन से संबंधित हों और विशेष रूप से निम्न मामलों पर (क) भविष्य निधि अंशदान और अन्य प्रभारों की वसूली की प्रगति (ख) अभियोजन मामलों का शीघ्रता से निपटान (ग) दावों का शीघ्र निपटान (घ) निधि के सदस्यों को वार्षिक लेखा विवरणियाँ प्रदान करना और (ङ.) प्रत्याहरण के मामलों पर शीघ्र मंजूरी प्रदान करना।

नए रूप में गठित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केरल क्षेत्र की क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के नाम परिशिष्ट-‘क’ में दिए गए हैं।

वर्ष 2010-2011 के दौरान दो बैठकें आयोजित की गईं। क्षेत्रीय समिति की 70 वीं बैठक दिनांक 17.05.2010 को तथा 71 वीं बैठक दिनांक 27.01.2011 को क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुई।

क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय समितियाँ

तीनों योजनाओं के प्रशासन हेतु 32 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 76 उप-क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

केरल में इस समय कोषिकोड, कोच्ची, कण्णूर, कोट्टयम और कोल्लम में 5 उप-क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

जिला कार्यालय

केरल में मून्नार, एलप्पी, त्रिच्चूर, कलपेट्टा और पालक्काड में पाँच जिला कार्यालय हैं।

ई-सेन्टर

सभी जिला कार्यालयों में ई-सेन्टर चालू है। सभी ई-सेन्टर संबंधित उ.क्षे.का. से संबंधित है। प्रत्येक सदस्य इन केन्द्रों से अपेक्षित जानकारी जैसे भ. निष् खाता की स्थिति और भ.नि. दावा, निपटारा हुए भ. नि. की राशि, चेक सं, आदि प्राप्त हो सकता है। उन्हें पेंशन के ब्यौरा भी मिल सकते हैं। ये ई-सेन्टर, स्थानीय अभिदायकों को सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, जोकि एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय से उपलब्ध है।

सुविधा केंद्र

संगठन, सदस्यों की शिकायतों के निपटान को उच्च प्राथमिकता दे रहा है। शिकायतों पर ध्यान देने तथा यथासमय उनका निवारण करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में सुविधा केंद्र काम कर रहे हैं। सदस्यों की शिकायतों/फरियादों का पंजीकरण कर पावती जारी की जाती है। शिकायतों का उच्च प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाता है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों ने राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के कार्यान्वयन में सर्वतोन्मुखी प्रगति प्राप्त कर ली है। सभी कार्यालयों में राजभाषा विभाग द्वारा निश्चित की गई लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्ष के दौरान मुख्य उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं:-

1. वर्ग 'घ' से पदोन्नत किए गए दो तीन पदाधिकारियों को छोड़कर शेष सभी अधिकारी/कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त कर ली है। प्रशिक्षण दिलाने के लिए अपेक्षित बाकी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई की जा रही है।
2. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं 5 के प्रावधानों के अनुसार सभी दस्तावेजों तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उतर भी द्विभाषी में जारी किया जा रहा है।
3. जैसे राजभाषा विभाग ने विनिर्दिष्ट किया है, वर्ष के दौरान मूल पत्राचार हिन्दी में करने का प्रयास किया जा रहा है।
4. केरल क्षेत्र में 23 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिसमें 232 स्टाफ सदस्य भाग लिए।
5. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप में आयोजित की जा रही हैं।
6. उप-क्षेत्रीय कार्यालय, कोषिकोड में हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टंकण परीक्षा केन्द्र स्थापित की गई है तथा विभागीय व्यवस्था के अंतर्गत टंकण प्रशिक्षण दिलाया गया तथा प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है।
7. इस क्षेत्र के सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तक एवं पत्रिका खरीदी गई है, तथा सभी कार्यालयों में हिन्दी पुस्तक का अच्छा-सा संग्रह उपलब्ध हो रहा है। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के पुस्तकालय में 1020 से भी ज्यादा हिन्दी पुस्तकें उपलब्ध हैं।
8. इस क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयोग एवं प्रचार के लिए स्थापित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आयोजित टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता में 60 स्टाफ तथा विभागीय नकद पुरस्कार योजना के अंतर्गत 125 स्टाफ सदस्यों ने नकद पुरस्कार जीता है। अहिन्दी भाषा कर्मचारियों के लिए आयोजित वार्षिक निबंध लेखन प्रतियोगिता में 6 स्टाफ सदस्यों ने पुरस्कार जीता है।
9. सितंबर माह के दौरान क्षेत्रीय तथा सभी उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में 'हिन्दी दिवस' तथा 'हिन्दी पखवाड़ा' समारोह उचित ढंग से आयोजित की गईं।
10. क्षेत्रीय कार्यालय से केरल क्षेत्र की गृह पत्रिका 'मलय निधि' के 23वें अंक का प्रकाशन किया गया।
11. वर्ष 2010 के दौरान प्रकाशित पत्रिकाओं में गृह पत्रिका 'मलय निधि' के 23वें अंक को उत्तम पत्रिका के रूप में राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन, केरल द्वारा प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
12. वर्ष 2010 के संयुक्त हिन्दी पखवाड़े के समापन समारोह में राजभाषा के उत्तम निष्पादन के लिए तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोषिकोड तथा कण्णूर के कार्यालयों को संबंधित न.रा.का.समिति से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों को उचित सेवा पदान करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति में नियंत्रण लाने के लिए क.भ.नि.संगठन के मुख्यालय द्वारा जो मुख्य कदम प्रारंभ किए हैं, इससे पृथक, क्षेत्र के निष्पादन में सुधार लाने हेतु केरल क्षेत्र भी सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति के इस्तेमाल में सक्रिय रुचि ले

रहा है। वस्तुतः री-इंजीनरिंग संकल्पना की नई व्यापार प्रक्रिया को क्षेत्र के सभी कार्यालयों में कार्यान्वयन करके, आधुनिकीकरण के लाभों को क्षेत्र ने स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है। इस दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में मुख्य कार्यालय के उपनिदेशक(लेखापरीक्षा) को सभी कार्यालयों में सदस्यों की लेखाओं का शत प्रतिशत लेखापरीक्षा करने के लिए संपर्क किया गया। नई पद्धति में प्रवेश करने से पूर्व विशेष लेखापरीक्षा चलाने हेतु क्षेत्र के सभी कार्यालयों में विशेष दल को भेजने की उन्होंने सहमति प्रदान की है।

क.भ.नि. संगठन वेबसाइट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने world wide web (www) में अपनी मौजूदगी पंजीकृत की है। तथा क.भ.नि. के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा दिनांक 7.11.01 को सरकारी क.भ.नि. सं. वेबसाइट औपचारिक रूप से प्रारंभ करने पर सूचना प्रौद्योगिकी राज पथ एक नए आयाम में प्रवेश किया। क.भ.नि.सं.वेबसाइट तीन यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर(यू.आर.एल) में उपलब्ध है। जिसका पता है www.epfindia.com, www.epfindia.org, www.epfindia.gov.in क.भ.नि.सं.वेबसाइट संगठन तथा क.भ.नि. अधिनियम एवं इसके अंतर्गत रचित योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। सदस्यों एवं नियोक्ताओं के लिए अपेक्षित मुख्य प्रपत्र एवं रिटेनों की डाउनलोड की गई रूपांतर भी इसमें शामिल है। सदस्यों एवं नियोक्ताओं को सुलभ होने के लिए वेबसाइट में जानकारी को श्रेणीकृत किया गया है। वेबसाइट की मुख्य विशेषता यह है कि सदस्यों एवं स्टैकहोल्डरों को अपनी शिकायत सीधे रजिस्टर करने की सुविधा इसमें उपलब्ध है। प्रपत्र, रिटेन और अन्य ई-वाणिज्य स्वभाव के कागजातों की प्रस्तुति के लिए सुविधा प्रारंभ करके स्टैकहोल्डरों एवं साधारण लोगों को क.भ.नि.संगठन के वेबसाइट में सुविधाजनक पहुँच प्रदान करके स्थाई विषयवस्तु और योजना प्रदान करते हुए इसे एक वास्तविक संपर्क प्रवेश बिंदु बनाने के लिए जारी किया है। क.भ.नि.सं. का वेबसाइट भविष्य में उसके स्टैक होल्डरों के लिए एक मुख्य बिंदु बन सकता है। इस क्षेत्र के लिए परीक्षण के आधार पर एक वेबसाइट चालू करवाया गया, (www.epfkerala.in) तथा प्रत्येक दिन साइट से प्राप्त रहे hits से यह स्पष्ट है कि यह साइट कर्मचारी, नियोक्ता तथा क.भ.नि.संगठन के सदस्यों के लिए लाभदायक है ।

क्षेत्रीय वेबसाइट

क.भ.नि.सं, केरल क्षेत्र ने क्षेत्रीय वेबसाइट (www.epfkerala.in) का अनुरक्षण किया गया है, जिसमें स्टैकहोल्डरों को लाभदायक जानकारी प्रदान करती रहती है । अभिदायक, अपने आवेदन की स्थिति, पेंशन आदि से संबंधित मामलों की जानकारी मिलने के लिए साइट में प्रवेश किया जा सकता है । वेबसाइट में आवेदन की स्थिति का अद्यतन, रोज़ किया जाता है । बिक्री सूचना तथा निविदा सूचना भी website में upload किया जाता है । website का Software/Downloads अनुभाग downloadable form में सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराता है ।

कियोस्क जानकारी

क्षेत्रीय कार्यालय में कियोस्क जानकारी स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा अभिदायकों को अपेक्षित जानकारी के बटून दबाने पर आवेदन की स्थिति, भविष्य निधि शेष आदि की जानकारी मिल सकती है ।

इंटरैक्टिव वोइस रसपोन्स सिस्टम(आई.वी.आर.एस)

इंटरैक्टिव वोइस रसपोन्स सिस्टम(आई.वी.आर.एस) एक व्यक्ति को टेलीफोन के द्वारा स्वचालित रूप में जानकारी विनिमय करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग करने की सुविधा देती है। सामान्य सूचना, दावे/आवेदन की स्थिति, क.भ.नि. शेष, खाते में अंतरण के ब्यौरे आदि सुवधाएं उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र के सभी कार्यालयों में आई.वी.आर.एस के साथ एस.एम.एस. सुविधा भी स्थापित किया गया है तथा अनन्य रूप से इस प्रयोजन हेतु प्रयोग में आनेवाले नम्बर नीचे दिया जाता है:-

क्षे. का., तिरुवनंतपुरम	0471 -2449544
उ.क्षे.का., कोल्लम	0474-2765818
उ.क्षे.का., कोट्टयम	0481-2582222
उ.क्षे.का., कोच्ची	0484-2533960
उ.क्षे.का., कोषिकोड	0495-2368544
उ.क्षे.का., कण्णूर	0497-2713080

गो-लैव

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम कम्प्यूटरीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए कार्यालयों में से एक है। और दिनांक 14.12.2009 को नया अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक चालू किया। केरल क्षेत्र के सभी प्रकार के पदाधिकारियों को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का प्रारंभ भी किया गया। वर्ष 2009-10/2010-11 के दौरान केरल क्षेत्र के 100% स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.

ई.पी.एफ. Internet Grievance Management System(ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) चालू किया गया है (<http://www.epfigms.gov.in>), जिससे अंतिम निपटान तक शिकायतों के निवारण की अनुवीक्षा करने के लिए तथा रिकार्ड करके पावती देने के लिए एक जालक प्लैटफार्म प्रदान किया जाता है। प्रणाली में प्रविष्ट किए हुए शिकायतों का अनुवीक्षण रोज़ किया जाता है।